प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-203/2026 दिनांक 23.07.2026)
दिनांक-23.07.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

👉 **कुशीनगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही-**

👉 **साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश: 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 कार, लैपटॉप, ATM, आधार, पेनकार्ड , पासबुक, चेकबुक एवं नगद 1,00,500/- रुपये बरामद**

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान 'Cy-Vazra के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ वर्मा के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राकेश प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम सेल पुलिस टीम द्वारा अभियान के तहत एटीएम कैश आउट-येलो कटेगरी मे एटीएम हॉट-स्पॉट के सम्बन्ध मे एनसीआरपी एवं समन्वय पोर्टल पर प्राप्त संदिग्ध बैंक खातों की जांच के दौरान फर्जी बैंक खाते खरीदने-बेचने एवं साइबर ठगी से अर्जित धनराशि को एटीएम के माध्यम से कैश आऊट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल दो अभियुक्तों क्रमश: 1.अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र जुगुल किशोर पाण्डेय निवासी ग्राम बरवाँस्थान पो0 लक्ष्मीगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 2. सुरेश कुशवाहा पुत्र बसन्त कुशवाहा निवासी चन्दरपुर बरवाँ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को दिनांक 22/23.07.2026 की मध्य रात्रि गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त एक मारुती वैगनॉर (वाहन सं0 UP57AX3020), 02 लैपटाप, 04 मोबाइल, 06 एटीएम कार्ड ,11 सिम कार्ड, 12 आधार कार्ड, 03 मोहरे , 03 पेनकार्ड 06 पासबुक ,04 चेकबुक व नगद 1,00,500/- रुपये बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना पर मु0अ0सं0-10/2026 धारा 316(2), 317,318(4), 319(2), 336(3),338, 340(2),111(1)(3)/3/5 बीएनएस व 66सी,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

Edit with WPS Office

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-10/2026 धारा 316(2), 317,318(4), 319(2), 336(3),338, 340(2),111(1)(3)/3/5 बीएनएस व 66सी,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर क्राइम थाना जनपद कुशीनगर

अपराध का तरीका:-

उपरोक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण संगठित साइबर अपराध गिरोह के शातिर सक्रिय सदस्य है जो जनपद कुशीनगर व आस पास संगठित रूप से साइबर गैंग संचालित करते है तथा उक्त गैंग के संचालन में चार पहिया व दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते है तथा आस पास जनता के भोले भाले लोगों को आनलाइन इन्वेस्टमेन्ट व ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने की आड़ में उनका एकाउण्ट खुलवाकर तथा उस एकाउण्ट में गैंग द्वारा स्वंय उपलब्ध कराये गये अपने और फर्जी सिमकार्डों को कनेक्ट करते हुए इस्तेमाल कर खाता खुलवा कर उनका एटीएम, पासबुक, चेकबुक अपने कब्जे में ले लेते है तथा इन्ही एकाउण्टों में धोखाधड़ी कर भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों से आनलाइन फ्राड कर एटीएम व चेकबुकों के सहायता से तत्काल पैसा निकालकर अवैध धन अर्जित कर लेते है तथा जब उक्त एकाउण्ट आनलाइन शिकायत के कारण होल्ड/फ्रीज हो जाते है तो उपरोक्त अभियुक्तगण दूसरे जनता के लोगों को लक्ष्य बनाकर धोखाधड़ी पुनः शुरु कर देते है तथा इसी क्रम को अनवरत रूप से जारी रखते है, उक्त अपराधिक कृत्य अंजाम देने के कारण अभियुक्तगणों के विरुध्द NCRP PORTAL में अबतक 122 आनलाइन शिकायतें दर्ज है तथा अभियुक्तगणों द्वारा अपने संगठित साइबर गिरोह की सहायता से जनपद में अबतक लगभग 02 दर्जन से अधिक म्यूल एकाउण्टों का उपयोग करना प्रकाश में आया है तथा उक्त 122 NCRP शिकायतों में अबतक 34 करोड़ 75 लाख दो हजार सात सौ अट्ठावन (347502758 रू0) की धोखाधड़ी प्रमाणित होना पाया गया है तथा अबतक यह भी प्रकाश में आया है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुध्द थाना कोपरखरैण जनपद थाणे महाराष्ट्र में मु0अ0सं0 242/26 धारा 318(2),318(4),3(5) BNS व 66 सी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त संगठित साइबर गिरोह के विरुध्द अन्य प्रदेशों से सम्पर्क कर डाटा संकलित किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

Edit with WPS Office

1. अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र जुगुल किशोर पाण्डेय निवासी ग्राम बरवाँस्थान पो0 लक्ष्मीगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. सुरेश कुशवाहा पुत्र बसन्त कुशवाहा निवासी चन्दरपुर बरवाँ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-
1- एक मारुती वैगनॉर रंग सफेद नम्बर UP57AX3020,
2- दो अदद लैपटाप,
3- चार अदद मोबाइल,
4- छः अदद एटीएम कार्ड ,
5- 11 अदद सिम कार्ड,
6- 12 अदद आधार कार्ड,
7- तीन अदद मोहरे ,
8- तीन अदद पेनकार्ड
9- छः अदद पासबुक ,
10- चार अदद चेकबुक
11- नगद 1,00,500/- रुपये बरामद ।

अभि0 अरविन्द कुमार पाण्डेय का आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0 242/26 धारा 318(2),318(4),3(5) BNS व 66 सी आईटी एक्ट
2- मु0अ0सं0 10/2026 धारा 316(2), 317, 318(4), 319(2), 336(3),338, 340(2),111(1)(3)/3/5 बीएनएस व 66सी,सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम ,

अभि0 सुरेश कुशवाहा का आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0 242/26 धारा 318(2),318(4),3(5) BNS व 66 सी आईटी एक्ट थाना कोपरखरैण जनपद थाणे, राज्य महाराष्ट्र
2- मु0अ0सं0 10/2026 धारा 316(2), 317, 318(4), 319(2), 336(3),338, 340(2),111(1)(3)/3/5 बीएनएस व 66सी,सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम साइबर क्राइम थाना जनपद कुशीनगर
3- मु0अ0सं0 460/2023 धारा 63 कॉपीराइट एक्ट, 419,420,467,468 ,471,473,486 भा0दं0सं0 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
1. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार प्रभारी साइबर थाना जनपद कुशीनगर मय टीम

Edit with WPS Office

2. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पन्त चुनाव सेल जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह प्रभारी साइबर क्राइम सेल जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 आकाश वर्मा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 विजय कुमार चौधरी साइबर क्राइम सेल जनपद कुशीनगर
6. का0 अखिलेश कुमार गुप्ता साइबर क्राइम सेल जनपद कुशीनगर
7. का0 प्रशान्त मिश्रा साइबर क्राइम सेल जनपद कुशीनगर
8. का0 अमित गुप्ता साइबर क्राइम सेल जनपद कुशीनगर
9. का0 नीरज कुमार चुनाव सेल जनपद कुशीनगर

आम जनमानस से अपीलः-

कुशीनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक अथवा बैंकिंग विवरण किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं। ऐसा करना भी गंभीर अपराध है तथा इसमें संलिप्त पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

थाना कसया पुलिस द्वारा गैगेंस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 हाटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0081/2026 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में थाना कसया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.07.2026 को वांछित अभियुक्त अब्दुल शाह पुत्र अमीन शाह निवासी बैजूपट्टी बैजनाथपुर थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 0422/2024 धारा 109, 61 बीएनएस व 3/5A/5B/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली हाटा कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 0081/2026 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली हाटा कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
अब्दुल शाह पुत्र अमीन शाह निवासी बैजूपट्टी बैजनाथपुर थाना कसया

Edit with WPS Office

जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
01. थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 अभिषेक यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. का0 रत्नाकर सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
04. का0 अंकुर चौधरी थाना कसया जनपद कुशीनगर
05. रि0का0 घनश्याम निषाद थाना कसया जनपद कुशीनगर

कुशीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई!!

👉 **थाना कसया पुलिस द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब का निर्माण करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**
👉 **345 लीटर अपमिश्रित अबैध कच्ची शराब, 50 Kg गुड़, 10 Kg यूरिया, 6 Kg नौसादर, प्लास्टिक के डिब्बे, ड्रम, बर्तन आदि बरामद-**

जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया डा0 अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब के निर्माण, निष्कर्षण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध निरंतर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त विनोद उराव पुत्र जतरु उराव निवासी महुगांव थाना भरनों जनपद गुमला झारखण्ड को मैनपुर दीनापट्टी से अपमिश्रीत शराब का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पास से कुल 345 लीटर अपमिश्रित अबैध कच्ची शराब, कच्ची शराब बनाने के उपकरण ड्रम नलकी लगी हुई व एल्मुनियम का भदेला व लगभग 06 किलो ग्राम नौसादर व 10 किलो ग्राम यूरिया व लगभग 50 किग्रा गुड़ तथा भारी में मात्रा में जरिकेन आदि बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार के पर थाना कसया पर मु0अ0सं0 449/2026 धारा 274 बीएनएस व 60(2) आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 0449/2026 धारा 274 बीएनएस व 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

गिरफ्तार अभियुक्त-
1- विनोद उराव पुत्र जतरु उराव निवासी महुगांव थाना भरनों जनपद गुमला झारखण्ड

बरामदगी का विवरणः-

1. 16 प्लास्टिक के डब्बे में 20 ली0 कच्ची शराब तथा 5 ली0 के सफेद रंग के पांच जरिकेन में 05-05 ली0 कच्ची शराब कुल 345 लीटर अपमिश्रित अबैध कच्ची शराब
2. कच्ची शराब बनाने के उपकरण 5 अदद टीन के ड्रम नलकी लगी हुई
3. 05 अदद एल्मुनियम का भदेला
4. 06 किलो ग्राम नौसादर
5. 10 किलो ग्राम यूरिया
6. लगभग 50 किग्रा गुड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01. थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 गनेश प्रजापति थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. उ0नि0 राहुल कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
04. हे0का0 राजेश चौबे थाना कसया जनपद कुशीनगर
05. का0 विनोद यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
06. का0 अंकुर चौधरी थाना कसया जनपद कुशीनगर
07. रि0का0 अभय यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
08. रि0का0 सुजित यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
09. रि0का0 बृज मोहन यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

सोशल मीडिया के माध्यम से हिन्दू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में एक पोस्ट संज्ञान में आया था। जिसके सम्बन्ध में थाना विशुनपुरा पर मु0अ0सं0 209/2026 अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अभियुक्त टुनटुन कुमार पुत्र सूरज कुमार निवासी बंगाली पट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 209/26 धारा 299/353(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

Edit with WPS Office

1. थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 अजती कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. का0 सुरेन्द्र यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त को थाना कसया पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0446/2026 धारा 69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र स्व0 शंकर शर्मा सा0 सिसवा बसंतपुर थाना चौतरवा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार की गिरफ्तारी करके अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 0446/2026 धारा 69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-
श्रवण कुमार पुत्र स्व0 शंकर शर्मा सा0 सिसवा बसंतपुर थाना चौतरवा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
01. थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 मृत्युन्जय सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. का0 विनोद यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनवारण करते हुए 02 नफर वांछित अभियुक्तों को लूट के 1270/-रू के साथ गिरफ्तार किया गया।

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 174/2026 धारा 309(4)/115(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 नफर अभियुक्त को लूट के 1270/-रू नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोगः-

Edit with WPS Office

मु0अ0सं0 174/2026 धारा 309(4)/115(2)/317(2) बीएनएस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
1. मेराज अंसारी पुत्र युनुस अंसारी साकिन राजपुर बगहा जीरात थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. प्रिन्स उर्फ राहुल वर्मा पुत्र परशुराम वर्मा साकिन वार्ड नं0 13 शास्त्रीनगर सब्जी मण्डी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-
लूट के 1270/-रू0 नकद

अभियुक्त मेराज अंसारी का अन्य आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 104/2011 धारा 379,411 भादवि थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 836/2013 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 138/2012 धारा 100जी सीआरपीसी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. मु0अ0सं0 24/2012 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
5. 748/2013 धारा 379,411 भादवि थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 शम्भू प्रसाद साहनी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 आदर्श मिश्रा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3.कां0 सत्यप्रकाश यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
4.कां0 छोटेलाल यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
5.कां0 पंकज प्रजापति थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा चोरी के आभूषण एवं नकदी के साथ दो महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना कप्तागनंज पुलिस टीम द्वारा दो महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी का एक अदद लाकेट (पीली धातु का) व 4200 रूपये नकदी बरामद की गई। बरामदगी एवं पूछताछ के

Edit with WPS Office

आधार पर अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 254/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-
अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह बिहार प्रान्त की रहने वाली है, वह ट्रेन से बिहार सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलो में आकर भोली भाली महिलाओं के साथ चोरी की घटना का अंजाम देती है, यदि सफल न होने पर पकडे जाने पर अपने महिला होने व उनमें से एक गर्भवती होने का लोगो पर भावनात्मक दबाव बनाकर उनसे बच जाती थी। आज सुबह उनके द्वारा सुबाष चौक से एक महिला के साथ आटो में बैठकर उसके पर्स से 4000 रूपये व एक लाकेट चोरी किया गया था।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 254/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-
1. महिमा देवी पत्नी दयाराज निवासी बेहिया थाना जगदीशपुर/बेहिया जिला आरा बिहार
2. आशिकी देवी पत्नी समीर खरवार निवासी बेहिया थाना जगदीशपुर/बेहिया जिला आरा बिहार

बरामदगी का विवरण-
- लाकेट (पीली धातु का) एक अदद
- कुल 4200 नकद रूपये

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1. थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 कुलदीप मौर्य थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
3. म0का0 संजना आनन्द थाना कप्तानगजं जनपद कुशीनगर।
4. म0का0 सोमी अग्रहरी थाना कप्तानगजं जनपद कुशीनगर।
5. म0का0 दीक्षा यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

थाना चौराखास पुलिस द्वारा दहेज उत्पीड़न आदि के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे

Edit with WPS Office

अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 124/2026 धारा 85,82(2),115(2),352,351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरूण प्रसाद पुत्र जितेन्द्र बैठा साकिन अमवा महन्थ थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 124/2026 धारा 85,82(2),115(2),352,351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
अरूण प्रसाद पुत्र जितेन्द्र बैठा साकिन अमवा महन्थ थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3. का0 प्रविन्द्र कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
4. रि0का0 अनुपम यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा दहेज उत्पीड़न आदि के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.07.2026 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 337/2026 धारा 85,89,115(2),352,351(2) BNS व धारा 3 / 4 DP Act बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्र प्रकाश गुप्ता पुत्र गोपाल कसौधन सा0 महमुदवा ग्रांट, अन्तरी बाजार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 337/2026 धारा 85,89,115(2),352,351(2) BNS व धारा 3 / 4 DP Act बीएनएस थाना कोतवाली पडरौना

गिरफ्तार अभियुक्त-
चन्द्र प्रकाश गुप्ता पुत्र गोपाल कसौधन सा0 महमुदवा ग्रांट, अन्तरी बाजार

Edit with WPS Office

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. प्र0नि0 ओमप्रकाश तिवारी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।
3. का0 रिषू यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास आदि के मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/26 धारा 109, 110, 115(2), 191(2) बीएनएस में वाँछित चल रहे 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध विवरण – (अभियुक्त लालबाबू)

01. मु0अ0सं0 202/18 धारा 323, 504, 506 भादवि
02. मु0अ0सं0 150/26 धारा 109, 110, 115(2), 191(2) बीएनएस (वांछित)
03. मु0अ0सं0 103/2011 धारा 308, 323, 323, 324 भादवि

अपराध विवरण– (अभियुक्त श्रीकान्त)

01. मु0अ0सं0 614/10 धारा 307, 307, 323, 323, 504, 504, 506, 506 भादवि
02. मु0अ0सं0 506/10 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम
03. मु0अ0सं0 202/18 धारा 323, 504, 506 भादवि
04. मु0अ0सं0 150/26 धारा 109, 110, 115(2), 191(2) बीएनएस (वांछित)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- लालबाबू पुत्र राजदेव निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर टोला भरताखाड थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
2- श्रीकान्त पुत्र राजदेव निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर टोला भरताखाड थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. व0उ0नि0 अश्वनी कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
2. का अमन कुमार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
3. रि0का0 कृष्णानन्द यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर ।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 98 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

__कार्यवाही एक नजर में=__
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 53 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-73, व्यक्ति-195
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(14)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी– (कुल 112)

__सोशल मीडिया सेल__
__जनपद कुशीनगर__

Edit with WPS Office